LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 99/6, 99/7,99/9, 99/10, 101/1, 101/3, 101/4, 101/5, 104,292/99 OF VILLAGE BHAKRASNI TEHSIL LUNI DIST.- JODHPUR

SCALE:-1"=100'

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	49659.73	43.66 %
COMMERCIAL AREA	4546.48	04.00 %
INFORMAL AREA	2280.77	02.00 %
E.W.S. & L.I.G.H. AREA	6434.24	05.66 %
PARK / GREEN AREA	5832.52	05.13 %
FACILITY AREA	5738.95	05.05 %
M.T./S.W.D. AREA	158.42	00.14 %
ZONAL PLAN ROAD	6527.95	05.74 %
ROAD AREA	32560.94	28.62 %
TOTAL SCHEME AREA	113740.00	100.00 %
Area in Bigha. = 58 Bigha , 15 Bishwa		

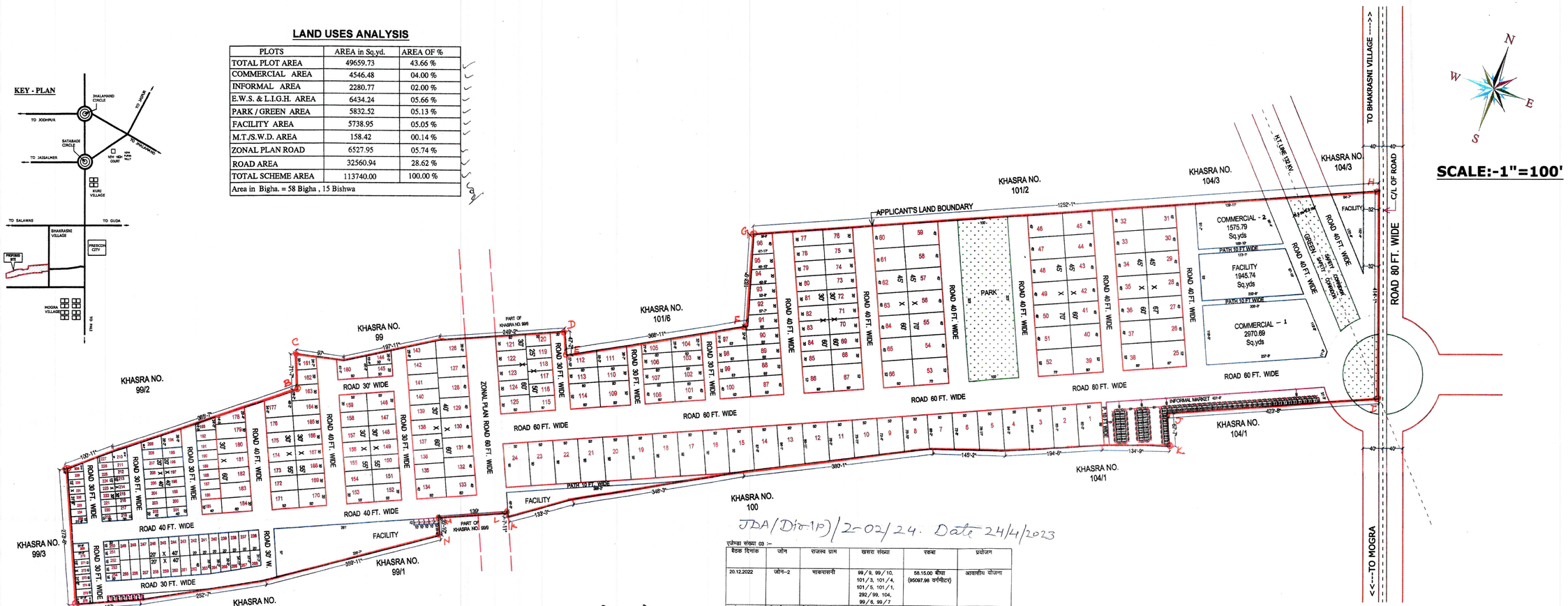

JDA/Div-IP)/2-02/24. Date 24/4/2023

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन–2	भाकरासनी	99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7	58.15.00 बीघा (95097.98 वर्गमीटर)	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स आशापूर्ण सिल्वरकॉन लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह, श्रीमती सुप्रिया कंवर पत्नी श्री करणसिंह, श्री पीयारम पुत्र श्री सोमाराम, श्रीमती टीनासिंह पत्नी श्री सुखवीर सिंह, श्री नारायणसिंह पुत्र श्री जयसिंह, श्रीमती पायल गुप्ता पत्नी श्री कपिल गुप्ता श्री दौलताराम पुत्र श्री रूपाराम				
विषय:–	राजस्व ग्राम भाकरासनी निवासी के खसरा संख्या 99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7 रकबा 58.15.00 बीघा (95097.98 वर्गमीटर) में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कन्टिगेंट अनुसार एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवंटित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट सुनिश्चितता की जावे। सड़क नामांधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से योजित के पश्चात निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 18 मीटर प्रस्तावित सड़क को दर्शाया जावें। 3. आवेदित भूमि में से एम.टी.सी.लाईन गुजर रही है। अतः नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर एवं जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार सेफ्टी कॉरीडोर के समानान्तर 12 – 12 मीटर की सड़क दर्शायी जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 हैं० से अधिक की योजना में नियमानुसार ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रावधान किया जावे। 5. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के प्रावधान 6(ii) के अनुसार न्यूनतम सुविधा क्षेत्र एवं पार्क/खुले क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड भवन में रखे जाने है जिनकी आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवादि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रस्तगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य कराने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

दिनांक 18.07.22 को सुपर इम्पोज प्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओं का मिलान कर लाल स्याही से मार्क A से 0 किया गया।

18/7/22
दीपाल सिंह राजपुरोहित
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

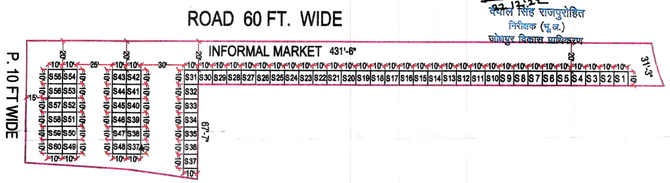

KHASRA MAP
NOT TO SCALE

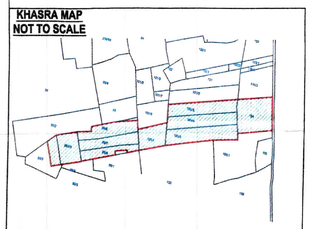

GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 99/6, 99/7,99/9, 99/10, 101/1, 101/3, 101/4, 101/5, 104 OF VILLAGE BHAKRASNI TEHSIL LUNI DIST.- JODHPUR

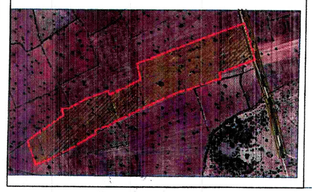

26/12/2022
सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

26/12/2022
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

26/12/22
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

24/4/23
उपायुक्त (जोन-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
65, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P. RAJ/NAGAR MITRA 2021 (351) 610

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 99/6, 99/7,99/9, 99/10, 101/1, 101/3, 101/4, 101/5, 104,292/99 OF VILLAGE BHAKRASNI TEHSIL LUNI DIST.- JODHPUR

SCALE:-1"=100'

KEY - PLAN

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	49659.73	43.66 %
COMMERCIAL AREA	4546.48	04.00 %
INFORMAL AREA	2280.77	02.00 %
E.W.S. & L.I.G.H. AREA	6434.24	05.66 %
PARK / GREEN AREA	5832.52	05.13 %
FACILITY AREA	5738.95	05.05 %
M.T./S.W.D. AREA	158.42	00.14 %
ZONAL PLAN ROAD	6527.95	05.74 %
ROAD AREA	32560.94	28.62 %
TOTAL SCHEME AREA	113740.00	100.00 %
Area in Bigha. = 58 Bigha , 15 Bishwa		

That this has been applied as Group Housing Project "Ashapurna NRI VI "admeasuring 12078.68 Sq.Mtrs and remaining area has been applied as Plotted Development Project "Ashapurna NRI V" admeasuring 83022.45 Sq.Mtr.

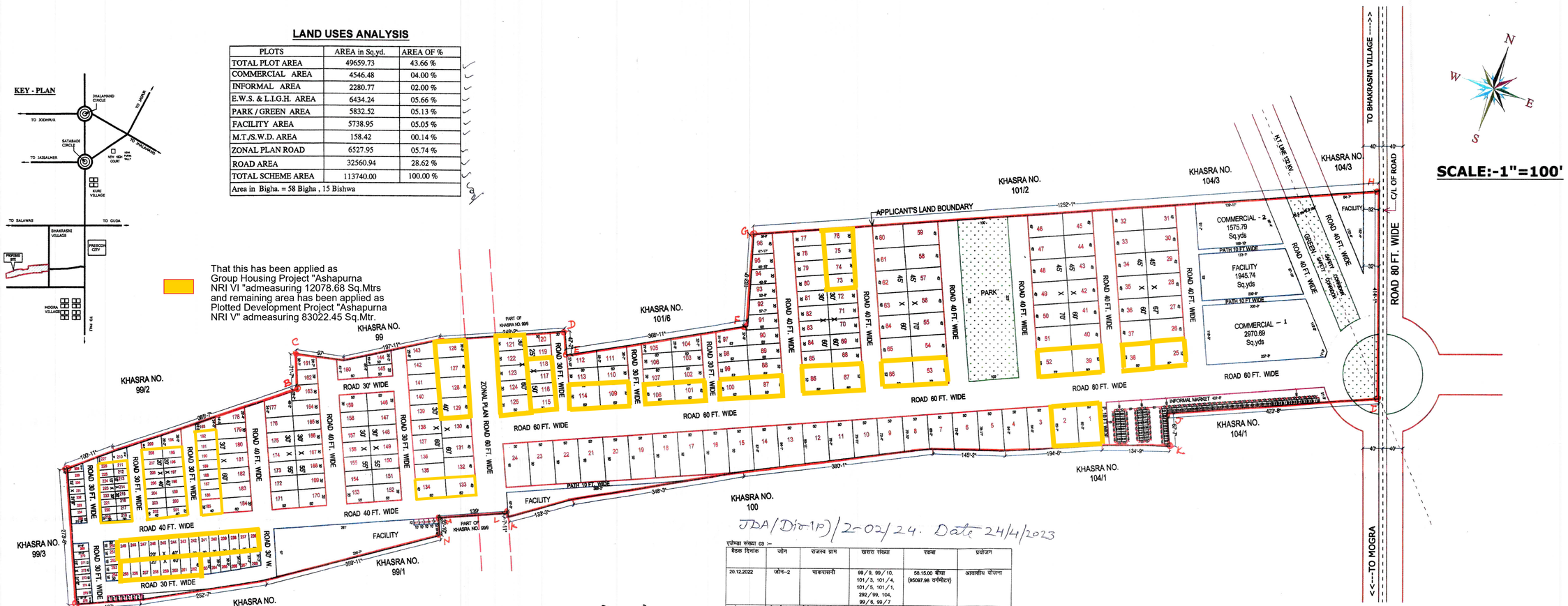

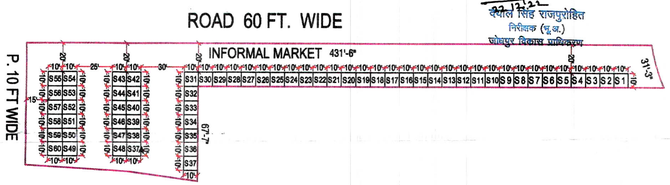

दिनांक 18.07.22 को सुपर इम्पोज प्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओं का मिलान कर लाल स्याही से मार्क A से 0 किया गया।

केवल सिंह राजपुरोहित
नियोजक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

KHASRA MAP NOT TO SCALE

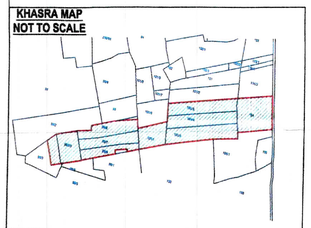

GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 99/6, 99/7,99/9, 99/10, 101/1, 101/3, 101/4, 101/5, 104 OF VILLAGE BHAKRASNI TEHSIL LUNI DIST.- JODHPUR

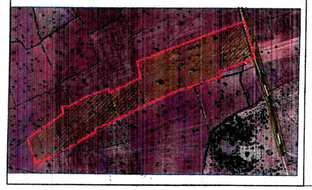

JDA/Div-IP)/2-02/24. Date 24/4/2023

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
20.12.2022	जोन–2	भाकरासनी	99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7	58.15.00 बीघा (95097.98 वर्गमीटर)	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स आशापूर्ण सिल्वरकॉन लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह, श्रीमती सुप्रिया कंवर पत्नी श्री करणसिंह, श्री पीयारम पुत्र श्री सोमाराम, श्रीमती टीनासिंह पत्नी श्री सुभाष सिंह, श्री नारायणसिंह पुत्र श्री जयसिंह, श्रीमती पायल गुप्ता पत्नी श्री कपिल गुप्ता श्री दौलताराम पुत्र श्री रूपाराम				
विषय:–	राजस्व ग्राम भाकरासनी निवासी के खसरा संख्या 99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7 रकबा 58.15.00 बीघा (95097.98 वर्गमीटर) में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कन्टिगेंट अनुसार एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवंटित भूमि को पश्चात पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से ओपिश के पास में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 18 मीटर प्रस्तावित सड़क को दर्शाया जावें। 3. आवेदित भूमि में से एम.टी.लाईन गुजर रही है। अतः नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर एवं जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार सेफ्टी कॉरीडोर के समानान्तर 12 – 12 मीटर की सड़क दर्शायी जावें। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्ट से अधिक की योजना में नियमानुसार ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रावधान किया जावे। 5. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के प्रावधान 6(ii) के अनुसार न्यूनतम सुविधा क्षेत्र एवं पार्क/खुले क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड भाग में रखे जाने है जिनकी आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाधि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रस्तगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

26/12/2022
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नियंत्रक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
65, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P. RAJ/NAGAR MITRA 2021 (351) 610